

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार
निवारण) अधिनियम, बहराइच।

जे०ओ० कोड संख्या यू०पी० 2735

विशेष दायित्विक वाद संख्या 631/2025

राज्य

प्रति

राहित अली आदि।

थाना रूपइडीहा, बहराइच।

आरोप

मैं, पवन कुमार शर्मा-॥, विशेष न्यायाधीश/अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम आप अभियुक्तगण राहित अली व वारिश अली को निम्नलिखित आरोप से आरोपित करता हूँ-

1- यह कि दिनांक 17.02.2024 समय करीब 12 बजे दिन, बहद स्थान नरैयनापुर दा० सुमेरपुर, थाना रूपइडीहा, जनपद बहराइच के अन्तर्गत आप अभियुक्तगण ने वादी मुकदमा ढोढ़े व भगोले को को स्वेच्छया मारकर साधारण चोटें पहुंचायी। इस प्रकार आप लोगों ने भा०द०सं० की धारा 323 के अधीन दण्डनीय अपराध कारित किया जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

2- यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने वादी मुकदमा आदि को मार पीट घोर उपहति कारित किया जिससे उसका अस्थिभंग हो गया। इस प्रकार आप लोगों ने भा०द० सं० की धारा 325 के अधीन दण्डनीय अपराध है जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

3- यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण ने वादी मुकदमा को जातिसूचक गालियाँ देकर इस आशय से प्रकोपित किया कि वे लोक शान्ति भंग कर सकता था। इस प्रकार आप लोगो ने भा०द०सं० की धारा 504 के अधीन दण्डनीय अपराध कारित किया जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

4- यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्त ने वादी मुकदमा को यह जानते हुए कि वह अनुसूचित जाति का है, को जनदृष्टि में अवमानित करने के आशय से जाति सूचक गालियाँ देकर अपमानित किया तथा मार पीटकर चोटें पहुंचायी। इस प्रकार आप लोगों का कृत्य धारा 3(1)(द ध), 3(2)(va) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध है जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

मैं, एतद्वारा निर्देश देता हूँ कि उपरोक्त विरचित आरोपों के सम्बन्ध में आप लोगों का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाये।

(पवन कुमार शर्मा-॥)

दिनांक 20-05-2026

विशेष न्यायाधीश, (एस.सी./एस.टी.एक्ट), बहराइच।

अभियुक्तगण को उक्त आरोप पढ़कर सुनाये एवं समझाये गये जिससे इन्कार करते हुए विचारण की माँग की गयी।

(पवन कुमार शर्मा-॥)

दिनांक 20-05-2026

विशेष न्यायाधीश, (एस.सी./एस.टी.एक्ट), बहराइच।

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार
निवारण) अधिनियम, बहराइच।

विशेष दायित्विक वाद संख्या 631/2025

राज्य

प्रति

राहित अली आदि।

थाना रुपइडीहा, बहराइच।

20-05-2026

मुकदमा पुकारा गया। पुकार पर अभियुक्तगण राहित अली व वारिश अली मय अधिवक्ता उपस्थित। अभियुक्तगण को धारा 230 बी.एन.एस.एस.(207 द०प्र०सं०) के अनुपालन में नकले प्रदान की गयी।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) ने अपना कथन आरम्भ करते हुए अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रस्तुत होने वाले साक्ष्य का उल्लेख किया।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित हो रहा है कि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य पर सम्यक विचार करने के उपरान्त मैं, इस मत का हूँ कि अभियुक्तगण राहित अली व वारिश अली के विरुद्ध भा०द०सं० की धारा 323, 325, 504 एवं धारा 3(1)(द ध), 3(2)(va) एस.सी./एस.टी.एक्ट के अन्तर्गत आरोप विरचित करने के लिये पर्याप्त आधार विद्यमान है, तदनुसार अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विरचित किया जाये।

पत्रावली दिनांक 10.07.2026 को अभियोजन साक्ष्य हेतु प्रस्तुत हो। आरोप पत्र के क्रम संख्या 1 व 2 पर अंकित अभियोजन साक्षीगण उक्त तिथि के लिए जरिए सम्मन आहूत हो।

(पवन कुमार शर्मा-II)

विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित

जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, बहराइच।